रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2011/वैशाख 29, 1933
No. 109] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2011/VAISAKHA 29, 1933

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2011

फा. सं. एफ. 14-369 (98) समन्वय प्रकोष्ठ/स्था. I.— अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली, 1999 में संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

1. इन विनियमों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विनियमावली, 2011 कहा जाएगा ।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे ।

3. (I) विनियम 8 (1) की तीसरी पंक्ति के पश्चात् शब्द 'साधारणत:' हटा दिया जाएगा । तद्नुसार विनियम 8 (1) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :–

"शासी अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से कभी भी अपनी बैठक आयोजित कर सकता है लेकिन यह बैठक अध्यक्ष महोदय द्वारा तय किए गए समय व स्थान पर तिमाही में एक बार आयोजित होगी ।"

(II) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विनियमावली, 1999 में, एम्स विनियमावली, 1999 के विनियम 4 (2)(ख) में उप-विनियम 2(क) के तत्काल बाद उप-विनियम 2(कक) सन्निविष्ट किया जाएगा, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :–

"बैठक की कार्यवाही संस्थान निकाय के सदस्यों को निदेशक द्वारा अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् परिचालित की जाएगी । कार्यवाही की पुष्टि करने के लिए सदस्यों को 14 दिन का समय दिया जाएगा ।"

(III) विनियम 4 के उप-विनियम 2(क) में "विधिवत अभिपुष्ट" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे :–

"उपस्थित सदस्यों के द्वारा" ।

(IV) विनियम 8 (1) में नया उप-विनियम 8 1(क) सन्निविष्ट किया जाएगा जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :–

"बैठक की कार्यवाही शासी निकाय के सदस्यों को निदेशक द्वारा अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् परिचालित की जाएगी । कार्यवाही की पुष्टि करने के लिए सदस्यों को 14 दिन का समय दिया जाएगा ।"

(V) विनियम 8 के उप-विनियम (2) में "विधिवत अभिपुष्ट" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द सन्निविष्ट किए जाएंगे :–

"उपस्थित सदस्यों के द्वारा "।

(VI) विनियम 8 (4) का अंतिम वाक्य निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :–

"..... बैठकों की कार्यसूची डाक द्वारा भेजी जाने पर डाक प्रमाण पत्र के तहत अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाती है, तो उसे बैठक की तारीख से कम-से-कम क्रमश: 10 दिन तथा 5 दिन पहले भेजा जाएगा ।"

संस्थान के प्राधिकार द्वारा
डॉ. आर. सी. डेका, निदेशक

[विज्ञापन III/4/151/11/असा.]

टिप्पणी : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मूल विनियमावली वर्ष 1999 में दिनांक 25 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं. फा. 14-3/69/99-स्था. I के द्वारा जारी की गई थी और आगे निम्नानुसार संशोधन हुए :

(I) अधिसूचना सं. फा. 14-3/69-स्था. II दिनांक 7 जून, 2003

(II) अधिसूचना सं. फा. 14-3/69/99-स्था. I दिनांक 2 दिसम्बर, 2009

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2011

F. No. F. 14-369(98) Co-ordination Cell/Estt.I—In exercise of the powers conferred by the Sub-Section (I)(a) of Section 29 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the All India Institute of Medical Sciences, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the All India Institute of Medical Sciences, Regulations 1999, namely :—

1. These Regulations may be called the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Regulations, 2011.

2. They shall be deemed to have come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. (I) The words 'ordinarily' after the third line of Regulation 8(1) shall be deleted. Accordingly Regulation 8(1) shall be read as under :—

"The Governing Body may meet as often as may be considered necessary by the Chairman for transaction of its business but shall meet once in a quarter at such place, and time as may be decided by the Chairman."

(II) In the All India Institute of Medical Sciences Regulation, 1999, in Regulation 4(2) (b) of the AIIMS Regulations, 1999, Sub-Regulation 2 (aa) shall be inserted immediately after Sub-Regulation 2 (a) which shall read as under :—

"The Proceedings of the meeting shall be circulated to the members of the Institute Body by the Director after obtaining the approval of the President. A period of 14 days will be given to the members to confirm the proceedings."

(III) After the words "duly confirmed" in sub-Regulation (2)(b) of Regulation 4, the following words shall be inserted :—

"by the members present".

(IV) In Regulation 8(1), new Sub-Regulation 8 1(a) shall be inserted which shall read as under :—

"The proceedings of the meeting shall be circulated to the members of the Governing Body, by the Director after obtaining the approval of the Chairman. A period of 14 days will be given to the members to confirm the proceedings."

(V) After the words "duly confirmed" in Sub-Regulation (2) of Regulation 8, the following shall be inserted :—

"by the members present".

(VI) The last sentence of the Regulation 8 (4) shall read as under :—

".....The agenda of meetings shall be sent under Certificate of posting if sent by post or electronically at least 10 days and 5 days respectively, before the date of the meeting. "

By the authority of the Institute,

Dr. R. C. DEKA, Director

[ADVT-III/4/151/11/Exty.]

Note :—The Principal Regulations of All India Institute of Medical Sciences was issued in 1999 *vide* notification F. No. 14-3/69/99-Estt. I dated 25th February, 1999 and amended further by :

(I) Notification F.No.14-3/69-Estt.II dated 7th June, 2003

(II) Notification F. No. 14-3/69/99-Estt. I dated 2nd December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.